

12/12/23

पत्रावली पत्र ~~द्वारा~~ अधिवक्ता प्रार्थी
उपस्थिता अधिवक्ता प्रार्थी प्रां पत्र
पुनः पत्र करने के अधिकार की
सुरक्षित रखती हुए प्रकृत गैर न्यून
किता अतः प्रां पत्र वकील प्रार्थी द्वारा
Not Press करने के आधार पर
प्रार्थना-पत्र 14 SARFAESI Act
इसी स्तर पर धारिज किया जाता है।
पत्रावली फॉर्म में शुमार होकर
माकिल हएल ही।




जिला कलक्टर
अनूपगढ़